सलाखों के पीछे
बचपन

देवी

सलाखों के पीछे
बचपन

सलाखों के पीछे बचपन

नवम्बर 2018

रिपोर्ट : संतोष उपाध्याय
संपादन : दीनबंधु वत्स
मार्गदर्शन : अजय झा

प्रकाशक
पैरवी
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
फोनः 011—29841266, ईमेलः info@pairvi.org | pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाइटः www.pairvi.org

कानून की अनदेखी

किशोरों को जेल में रखना किशोर न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। किशोरों को वयस्कों के लिए बने जेल में रखा जाना किशोर न्याय अधिनियम का खुला उल्लंघन है। खुलेआम किशोरों को न केवल जेल में भेजा जा रहा है बल्कि ऐसी घटनाएँ दिनों-दिन बढ़ रही हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि प्रदेश की जेलों में कुल कितने बच्चे बंद है लेकिन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 'बंदियों की स्थित रिपोर्ट 2015' के मुताबिक प्रदेश की 58 जेलों में कुल 476 बच्चे बंद है। सभी जिलों में रिमांड होम नहीं होने के कारण उन्हें वयस्कों के लिए बने जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए है जहाँ पुलिस अवैधानिक रूप से किशोर को वयस्क साबित कर जेल भेज देती है। दोनों ही परिस्थितियों में किशोर न्याय अधिनियम का आपराधिक उल्लंघन हो रहा है।

किशोर न्याय अधिनियम बाल आरोपी को वयस्क आरोपी से अलग आंकता है। बाल अपराध कानून में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को

दंडित करके के बजाय उनके सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम किशोर के पिछले अपराध के बजाय उसके भविष्य के कल्याण को लेकर चिंतित है। इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए यह महसूस किया गया कि किशोर अपराधियों को पुलिस लॉकअप या जेल में रखने की बजाय एक खास तरह के माहौल में रखा जाए, जिससे उनके विकास में बाधा न हो। इसके अलावा कुख्यात अपराधियों के बीच रहने से बच्चे का उनसे प्रभावित होने और उनके हाथों इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है।

बाल अपराधियों को जेल में बंदी बनाए जाने पर रोक का जिक्र बच्चों के कानूनों के अस्तित्व में आने के समय से ही कानून की किताबों में है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में पास किया गया जिसका उद्देश्य देश में बाल अपराधियो (हालांकि किशोर कानून में बाल अपराधी भी कहना असंगत है) को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानूनी ढ़ांचा बना था, जिससे यह सुनिश्चित सुनिश्चित हो सके कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे को जेल या पुलिस लॉकअप में न रखा जाए। वर्ष 1986 के कानून के तहत बाल आपराधियों के खिलाफ कोई जांच लंबित होने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए निगरानी गृहों और दोषी बच्चों को रखने के लिए विशेष गृहों की स्थापना की गई। इस कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी दोषी बच्चे को कारावास की सजा नही दी जा सकती।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 10.1 में स्पष्ट कहा गया है कि विधि के विरुद्ध किशोर को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात या जेल में नही रखा जा सकता है। लेकिन किशोरो को जेलो में रखने पर वैधानिक रोक के बावजूद पुलिस उन्हे वयस्क बताकर गिरफ्तार कर लेती है और जेल में ठूंस देती है। नियमित अदालतों में उनका मुकदमा चलता है। वर्ष 1986 में शीला बरसे ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर देश के विभिन्न राज्यों की जेलो में बंद 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रिहा करने की मांग की थी। इसी वर्ष न्यायालय ने बच्चों को जेलों में रखने की प्रवृति की आलोचना की और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे निगरानी गृहों की स्थापना करे ताकि ऐसे बाल आरोपियों को वहां रखा जा सके जिनके खिलाफ जांच लंबित है। इस फैसले में यह बताने की भी कोशिश की गई कि बाल अपराधियों को जेल में क्यों नही रखा जाना चाहिए।

बच्चा राष्ट्र की सम्पत्ति है और यह सरकार का यह कर्तब्य है कि उनकी देखभाल करे और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सुनिश्चित करे। इसलिए बच्चों से सम्बंधित सभी कानूनों में व्यवस्था है कि किसी भी बच्चे को जेल में न रखा जाए। कानूनी व्यवस्था के आलावा भी यह बुनियादी बात है कि जेल ऐसी जगह नहीं है जहां किसी बाल अपराधी को रखा जाए। इस बात में कोई संदेह नही है कि जेल में कैद करने से बच्चे का विकास रूक जाता है। उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह अपना विवेक खो बैठता है और समाज से अलग-थलग पड़ जाता है। कानूनी प्रावधानों और सामाजिक वैज्ञानिकों के चिंताओं के बावजूद अभी भी देश की विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में बच्चे बंद है।

बच्चे अपराध करने के दोषी भी साबित हुए हो तो भी उन्हे जेलो में नही रखा जाना चाहिए। जेलों का बच्चा बार्ड अन्य कैदियों से अलग होने के बाद भी बच्चे के दिमाग पर खराब असर डालता है। उसे समाज का दुश्मन बना देता है और उसके अंदर उस व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वह जेल मे बंद रहा।

भोला भगत के मामले में बिहार बाल कानून के तहत एक दलील को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अदालतों को निर्देश दिया कि जब भी कोई आरोधी जुवेनाईल होने का दावा करे, अदालत उस समय आयु पता लगाने संबंधी जांच कराए और आपराधिक मामले में आगे बढ़ने से पहले उम्र संबंधी दावों का निपटारा करे।

किशोर जेल में

साल 2002 में रोहतास जिले के पहाड़ियो और जगलों में शाहाबाद वन प्रमंडल के बहुचर्चित डीएफओ संजय सिंहकी हत्या हुई। इस हत्या के आरोप में एक दुबली-पतली सी आदिवासी लड़की भी गिरफ्तार हुई। इसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। बच्चों के लालन-पालन के जगह उसे दो राज्यों के विभिन्न जेलों में चक्कर काटना पड़ा। कमोवेश दो साल से उपर जेल में रहने के बाद उसे किशोर न्याय परिषद् रोहतास द्वारा किशोरी घोषित किया गया और 2018 में उसे पुनर्वास की हकदार मानते हुए 3 साल तक की पर्यवेक्षण गृह में भेजने की सजा सुनाई गयी। लेकिन तब तक वह 6 साल से ऊपर कैद में रह चुकी थी। 11 साल की छोटी उम्र में बिना मां-बाप की बच्ची सपनों और हसरतों के साथ अच्छी पढ़ाई चाहती थी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वह नक्सली कमांडर हो गई।

लेकिन अपराध न्याय प्रणाली को इस बात को समझने में लगभग दो साल लग गये कि ललिता (बदला हुआ उमा नाम) बाल अपराधी है। विचाराधीन कैदी और दोषी के रूप में उसे जेल में रखा जाना दोनों ही कानून का उल्लंघन है। सासाराम सदर अस्पताल की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट से पता चला कि अपराध करने के दिन उसकी आयु अधिक से अधिक 15 वर्ष और कम से कम 11 वर्ष रही होगी। व्यवस्था की उदासीनता इस तथ्य में भी दिखाई दी कि इस मामले से जुड़ी पुलिस, जेलर, सत्र न्यायाधीश और यहां तक कि किशोर न्याय परिषद्, रोहतास भी

ललिता को बाल अपराधी मानने और उसके साथ बाल अपराधी जैसा व्यवहार करने के लिए तैयार नही थे। ललिता उन उदाहरणों में से एक उदाहरण है, जिसे बाल अपराध कानून के तहत सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और विभिन्न जेलों में रखा गया। 6 साल तक संसिमित सरहने के बाद भी किशोर न्याय परिषद, रोहतास ने 2018 में फैलसा सुनते वक्त दोषी करार दिया और उसे रिहा करने के बजाय संसिमित करने का आदेश दिया। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया।

केस अध्ययन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 (12) और (13) के अनुसार विधि विरोधी किशोर वह है जिसने अपराध किये जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नही की है। इस संबंध में 14 केस अध्ययन संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किशोर न्याय कानून के बावजूद उसका स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है और विधि के विरुद्ध बच्चों को अभी भी आपराधिक मामलों में वयस्क दिखा कर जेल भेज दिया जाता है और उन्हें पुलिस यातना सहनी पड़ती है। हालांकि ऐसे अनेक मामले हैं और इसके लिए व्यापक अध्ययन की जरूरत भी है, लेकिन नमूने के तौर पर 14 केस स्टडी आपके समक्ष रख रहे हैं।

इसके लिए पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक टीम गठित कर ऐसे मामलों का अध्ययन किया गया। इस टीम में संतोष उपाध्याय (बंदी अधिकार आन्दोलन), ददन पाण्डेय (पूर्व सदस्य, किशोर न्याय परिषद् रोहतास), पवन सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता), नरेन्द्र कुमार (पत्रकार) और रूबी कुमारी (सामाजिक कार्यकर्ता) शामिल थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस टीम ने सासाराम अरवल, जहानाबाद, मुजफ्फरपूर और दरभंगा जिलों की यात्रा 2 अगस्त से 20 अगस्त के दौरान की और वहां से 10 ऐसे केस इकठे किये किये जहां बच्चों को गैरकानूनी ढंग से ज्यादा उम्र का दिखा के जेल भेज दिया गया है। इस दौरान टीम ने बच्चों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और मामलों के जानने का प्रयास किया। बच्चों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बच्चों और उनके परिजनों का नाम और तस्वीर प्रकाशित नही की जा रही है। रिपोर्ट में बच्चों के लिखे गए सारे नाम

काल्पनिक है जिससे की गोपनीयता बनी रहे। इन 10 केसों के बाद चार और मामले प्रकाश में आये जिसका उल्लेख यहां किया जा रहा है।

केस अध्ययन - 1

जेजेबी - 112/18
बिक्रमगंज पुलिस स्टेशन केस नं. 135/18
जी आर नं. 417/2018

उक्त प्राथमिकी 26.04.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 414 के तहत दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी के अनुसार विक्रमगंज के विद्युत प्रशाखा के कनीय अभियंता ने कहा की 25.04.2018 को स्वीच यार्ड से ताम्बे का तारनिकाल कर कुछ लोग भाग रहे थे। हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने दौड़ कर बिक्रमगंज रोहतास के रहने वाले मोहन, उम्र लगभग 18 वर्ष, को पकड़ लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 414 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान करने का निर्देश थानाध्यक्ष द्वारा दिया गया। अनुसांधानकर्ता ने मोहन को गिरफ्तार कर 26.04.2018 को बिक्रमगंज मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया। अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मोहन को गिरफ्तार कर साक्ष्य ज्ञान से समर्थित अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तारी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट तथा अद्यतन केस डायरी की छायाप्रति एवं सुरक्षा बल के साथ न्यायालय में अग्रसारित किया। अभियुक्तगण ने सुरक्षा बल के संबंध में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकायत नहीं की तथा मुफ्त सरकारी वकील की सेवा लेने से इंकार किया। अद्यतन केस डायरी के कण्डिका नं. 02,03,07,08 से उक्त अभियुक्तगण की इस काण्ड में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। आरोपित धारायें अजमानतीय है। अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त मोहन की उम्र 18 वर्ष 6 माह आदेश फलक पर अंकित की तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर अभिरक्षा अभिपत्र के साथ उपकारा बिक्रमगंज इस निर्देश के साथ भेज दिया कि काराधीक्षक दिनांक 10.05.2018 को उसे न्यायालय में प्रस्तुत करे। काराधीक्षक को यह निर्देश भी दिया गया कि उक्त अभियुक्तों को जेल मैन्युअल के अनुसार उचित इलाज की सुविधा मुहैया कराए।

प्राथमिकी में सूचनादाता ने मोहन की उम्र लगभग 18 वर्ष लिखी है। लेकिन थानाध्यक्ष को लगा होगा कि इसमें वह किशोर साबित हो जाएगा तो थानाध्यक्ष ने

उसे जेल भेजने के लिए उसकी उम्र 18 वर्ष 6 माह लिखकर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने भी पुलिसिया शैली का अनुसरण रहे और अभियुक्त से पूछताछ की। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त से पूछताछ कैसा रहा होगा इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है की अभियुक्त ने वहां रटा-रटाया उत्तर दिया की उसकी उम्र 18 वर्ष 6 माह है। बस, जेल भेजने में अब कोई भी कानून बाधा नही थी।

22.05.2018 को अभियुक्त मोहन की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में नाबलिक मोहन को अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी जन्म तिथि 01.06.2006 है। अतः इस केस की सुनवाई व विचारण किशोर न्याय परिषद् सासाराम में किया जाए। न्यायालय ने अभिलेख व अभियुक्त के द्वारा दाखिल आवेदन तथा साथ में आधार कार्ड की छाया प्रति का अवलोकन किया। जिससे विदित हुआ कि आधार कार्ड पर जन्म तिथि 01.06.2006 अंकित है जो 18 वर्ष से कम है। अभियुक्त देखने से ही प्रथम दृष्टया नाबालिग लगता है। अतः बाद को विचारण हेतु किशोर न्याय परिषद सासाराम भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

22.05.2018 को न्यायाधीश महोदय को मोहन प्रथम दृष्टया नाबालिग लगा जबकि 26.04.2018 को पुलिस जब इसे गिरफ्तार करने जब लायी, तब जज साहब ने इसकी उम्र 18 वर्ष 6 माह उम्र लिखी जिससे एक बालक को जेल चला गया। रिमांड करने वाले न्यायाधीशो को भी ऐसे बालको को सर्तकता से देखना चाहिए और पुलिस की लिखी वार्ता को ज्यों का त्यों स्वीकार करने से बचना चाहिए।

08.06.2018 को किशोर न्याय परिषद् सासाराम मोहन को किशोर घोषित करने के आवेदन के हाशिये पर संक्षिप्त आर्डर में लिखा की शारीरिका बनावट के आधार पर देखने से ही यह बालक नाबालिक लगता है और उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा नही लग रही है।

बोर्ड ने किशोर घोषित करने के आदेश के साथ बिक्रमगंज थानाध्यक्ष को कारण-पृच्छा नोटिस जारी करने का आदेश दिया व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखने का निर्देश दिया। साथ ही बिक्रमगंज अनुमंडालाधिकारी को किशोर मोहन को परवरिश योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया ।

आधार कार्ड के अनुसार किशोर की उम्र 11 वर्ष 10 माह 24 दिन है। इसके माता-पिता पिछले 10 वर्षो से भी अधिक समय से लापता है और यह अपने चाचा के यहां रहता है और पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है। सरकार ऐसे बालकों को

शिक्षा के अधिकार से नही जोड़ पायी, न समाज कल्याण विभाग परवरिश योजना का इसे लाभ तक पंहुचा पाई। लेकिन पुलिसिया कार्यशौली के कारण किशोर न्याय कानूनों का उल्लंघन करते हुए इसे 26.04.2018 से 08.06.2018 तक निश्चित तौर पर जेल मे रहना पड़ा। जो बालक देखने से ही बोर्ड को किशोर है पुलिस को और रिमांड करने वाले न्यायाधीश महोदय को कैसे नही दिखा? किशोर को उचित मुआवजा मिलाना चाहिए एव दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

केस अध्ययन - 2

अरवल जिले के किंजर थाने में 21.06.2018 को भारतीय दंड संहिता धारा 366 (।) के तहत अपहरण के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज हुई जिसमें 22.06.2018 को आरोपी की उम्र 20 साल दर्ज है। बाद में उसे गिरफ्तार कर जहानाबाद जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभिभावकों ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल के यहां आवेदन दिया कि गिरफ्तार व्यक्ति व्यस्क नहीं है। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अतः बालक किशोर है। बाद में 20.07.2018 को जज साहब ने उसका वाद किशोर न्याय परिषद अरवल को स्थानांतरित कर दिया। किशोर न्याय परिषद के सामने इसके अभिभावक ने उम्र संबंधी मैट्रिक का प्रमाणपत्र पेश किया। इसके बाद बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच हेतु लिखा। उनकी जांच रिपोर्ट बाद में आयी। टीम इसी वक्त अरवल में थी, हांलकि इसे 13.09.2018 को किशोर घोषित किया गया। रिपोर्ट लिखे जाने तक उसे जमानत नहीं हुई है।

केस अध्ययन - 3

किशोर न्याय परिषद् 201/15
जी आर 1048/15
कांड संख्या - 162/15

परिवादी रोहतास जिले के अमझोर थाने में मुकदमा दर्ज की जिसके अनुसार अनिल कुमार 11.12.2015 को लाढ़ी डंडा लेकर अन्य लोगों के साथ घर पहुंचा और मारने लगा। अनिल के खिलाफ भा.द.वि की धारा 147, 149, 341, 323, 379, 504, 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में उसकी उम्र 22 साल है और वह दिनांक 18.12.2015 को गिरफ्तार हुआ। पुरानी लेखन शैली को अपनाते

हुए मुकदमा में लिखा है कि अभियुक्त ने सुरक्षा बल के संबंध में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं की तथा सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इंकार किया।

अभियुक्त को मंडल कारा सासाराम भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट के अनुसार अभियुक्त अनिल कुमार ने 21.12.2015 को वाद पृथक कर किशोर न्याय परिषद् रोहतास में वाद भेजने की प्रार्थना की और कहा की उसकी जन्मतिथि 12.03.99 है। 02.01.2016 को अभियुक्त अनिल कुमार किशोर घोषित किया गया। इनकी उम्र पटना 10.12.2015 के दिन 16 वर्ष 8 माह 28 दिन थी। 04.01.2016 को किशोर अनिल कुमार को जमानत दे दी गयी । बालक अनिल कुमार सासाराम मंडल कारा में 18.12.2015 से लेकर ०4.01.2016 तक रहा, जो उसके बाल अधिकारों का हनन है।

केस अध्ययन - 4

जेजेबी नं. - 297 / 15

जी आर - 1446 / 15

सूचनादाता ने दरिगांव, रोहतास के मुन्ना के खिलाफ भादवि धारा 341, 323, 325, 307, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें लाठी और रॉड से मारपीट का आरोप लगाया गया है। 14.04.2016 को मुन्ना गिरफ्तार हुआ। पुलिस द्वारा इसकी उम्र 20 साल लिखी गयी और उसे सासाराम मंडल कारा भेज दिया गया। 29.04.2016 को इसके वकील द्वारा वाद किशोर न्याय परिषद् में भेजने की प्रार्थना की गयी। 02.05.2016 को रिकार्ड आने पर इसे किशोर घोषित करने का आवेदन दिया गया। 04.05.2016 को मुन्ना जेल में प्रस्तुत हुआ। बोर्ड के सामने इसके विद्यालय के शिक्षक का परीक्षण हुआ। 05.05.2016 को इसे बोर्ड द्वारा किशोर घो. षित किया गया। इसकी जन्म तिथि 02.07.2004 है और घटना तिथि 18.12.2015 है, इस लिहाज से इसकी उम्र 11 वर्ष 6 माह 16 दिन होती है। 16.05.2016 बोर्ड द्वारा जमानत प्रदान की गई। 14.04.2016 से संसीमित किशोर 15.06.2016 को जेल से रिहा किया गया। इतने दिन कम उम्र के बालक को जेल में रखा जाना किशोर न्याय कानून का खुला उल्लंघन है। 20 साल का मुन्ना 12 वर्ष से कम का पाया जाता है। पुलिस खासकर दरिगाम्व थाने की बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी सामाजिक बैकग्राउड रिपोर्ट लिखते समय आसपास लोगों से पूछते तो इसकी उम्र

का सही अंदाजा लग जाता और किशोर को एक महीना से ऊपर जेल में संसीमित नही रहना पड़ता। इसे स्पष्ट तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए।

केस अध्ययन - 5

किशोर न्याय परिषद् - 39/14

काराकाट थाना -208/14

सूचनादाता ने काराकाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की कि उसके भतीजे पर मुन्ना सिंह, 21 वर्ष ने अपने तीन-चार साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला किया और उसे जान से मार दिया। इनके खिलाफ भा.द.वि की धारा 341, 323, 324, 302, 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 18.11.2016 को मुन्ना सिंह ने आत्मसमर्पण किया उसकी जमानत खारिज हुई और वह विक्रमगंज जेल चला गया। मुन्ना सिंह के अधिवक्ता न्यायलय में अर्जी लगते है कि इसकी जन्मतिथि 18.06.1998 है और घटना के समय इनकी उम्र 16 वर्ष है। अतः वाद विचारण हेतु किशोर न्याय परिषद् में भेजा जाय। 15.03.2017 को मुन्ना सिंह बोर्ड द्वारा किशोर घोषित हो जाता है क्योकि घटना 14.11.2017 की है, एवं उसकी जन्मतिथि 18.06.1998 है। अतः इनकी उम्र घटना के वक्त 16 वर्ष 4 महीना 26 दिन हुई, जो 18 वर्ष में कम है। 29.03.2017 को मुन्ना सिंह की जमानत हो जाती है। वाद पर अभी विचारण

हो रहा है लेकिन पुलिस और सूचनादाता द्वारा झुठी उम्र दिखाने के मुद्दे पर कोई सत्यपान प्रकिया नही अपनाई गई ।

केस अध्ययन - 6

डिहरी नगर थाना में 15 जनवरी 2014 को कांड संख्या 457/14 भारतीय दंड संहिता की धारा 302ए 201ए, 379, 34 बी के तहत चोरी और हत्या जैसे आरोपो के साथ दर्ज हुई। पुलिस अभियुक्त को 31 जुलाई 16 को गिरफ्तार करके सासाराम मंडल कारा भेज दिया। जेल भेजते वक्त उनकी उम्र 19 साल लिखा गया। 1–10–16 को इनका वाद किशोर न्याय परिषद सासाराम में स्थानांतरित किया गया। परिषद उपयुक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में संसीमित प्रार्थी का नामांकन रजिस्टर लाने का आदेश जारी किया। फलस्वरूप 3 नवंबर 2016 को इसके विद्यालय का रजिस्टर आया। प्राचार्य की गवाही और नामांकन तिथि के दिन लिखी जन्म तिथि की जांच की गई। उसमें पाया गया कि घटना तिथि को जेल में बंद प्रार्थी की उम्र 14 वर्ष 10 माह 6 दिन है। अतः किशोर न्याय परिषद रोहतास द्वारा प्रार्थी को किशोर घोषित किया गया। किशोर द्वारा जमानत का आवेदन दिये जाने पर परिषद द्वारा 24 नवंबर को किशोर जमानत पर रिहा हो गया ।

केस अध्ययन - 7

रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाने में थानेदार ने 5 अप्रैल 2017 को शहर में बलवा होने पर कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (कांड संख्या 86ध्17) दर्ज की और कुछ लोगों को 6 अप्रैल 17 को गिरफ्तार करके बिक्रमगंज अनुमंडल जेल भेज दिया। इसमें दो लोगो से सादे कागज पर लिखावाया गया कि उनकी उम्र 20 साल और 22 साल है। ये गिरफ्तार लोगो से उम्र स्वीकारोक्ति कराने का पुलिसिया रिवाज है। उनके अभिभावकों ने बिक्रमगंज के न्यायिक दंडाधिकारी के यहां आवेदन दिया और दस्तावेज प्रस्तुत किया और कहा कि जेल में बंद अभियुक्त वयस्क नहीं है, बल्कि किशोर है। अतः इस वाद को विचारण हेतु किशोर न्याय परिषद सासाराम भेजा जाए जिससे न्याय हो सके। बिक्रमगंज कोर्ट से रेकॉर्ड सासाराम बोर्ड में आया जहां इनके अभिभावकों ने उम्र सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर अभियुक्तों को किशोर घोषित करने की प्रार्थना की। बोर्ड ने जांचोपरांत पाया कि जेल में बंद दोनों की

उम्र 18 साल से कम है। अतः 20 अप्रैल 17 को इन्हें किशोर घोषित किया गया और जमानत आवेदन देने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया। हालाँकि, किशोर न्याय परिषद ने पुलिस अफसर को इस अवैधानिक कार्य के लिए कारणपृच्छा भी नहीं भेजा।

केस अध्ययन - 8

बिहार के मुज़्जफरपुर जिले के मीनापुर थाने में 19 मार्च 2018 को धारा 376 यानी बलात्कार जैसी संगीन धारा में प्राथमिकी (कांड संख्या 116/18) दर्ज हुई। जिसमे पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद 21 मार्च 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर मुज़्जफरपुर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र पुलिस ने 19 साल दिखाई। जेल में बंद आरोपि के माता-पिता का कहना था कि उसका बेटा छोटी उम्र का है। उन्होंने न्यायोचित ढंग से जज साहब के यहां गुहार लगाई और दस्तावेज भी पेश किया जिससे इस वाद को किशोर न्याय परिषद, मुज़्जफरपुर भेज दिया गया। जेल से बालक को परिषद में उपस्थापित किया गया और उसके पिता के किशोर घोषित करने के आवेदन पर सुनवाई हुई। विद्वान परिषद ने आरोपी को उसकी शारीरिक बनावट देखते ही किशोर घोषित कर दिया। कोई दस्तावेज की जरूरत नही पड़ी। बोर्ड को बालक 12–13 साल का लगा। 5 जुलाई 18 को किशोर को जमानत पर मुक्त करने का आदेश परिषद द्वारा दिया गया।

केस अध्ययन - 9

बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालय में मौजूद एकमात्र महिला थाने में बलात्कार करने की प्राथमिकी (कांड संख्या 38/15) धारा 376ध और 34 बी के तहत 30 अप्रैल 2015 को दर्ज हुई। पुलिस 14 मार्च 2016 को एक आरोपी को गि. रफ्तार करके जहानाबाद जेल में भेज दिया। पुलिस अभ्यासवश गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र 19 साल लिख दी। किशोर के माता पिता जहानाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ अर्जी लगाई कि उनके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है। अतः न्यायपूर्ण विचारण के लिए वाद को किशोर न्याय बोर्ड भेजा जाए। जज साहब ने रिकॉर्ड देखकर वाद को किशोर न्यायालय में भेजने का आदेश दिया। 20–06–16 को किशोर घोषित करने के आवेदन पर विचार करते हुए पाया गया कि आरोपी

की उम्र मैट्रिक प्रमाण के आधार पर 18 वर्ष से कम है और उसे किशोर घोषित किया गया। घटना के वक्त इसकी उम्र 14 साल, 6 माह, 12 दिन पायी गयी। 20 जून 2016 को किशोर को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया।

केस अध्ययन - 10

बिहार के दरभंगा जिले में दरभंगा सदर थाने में 14 जून 2018 को धारा 341, 323, 342, 448 और 354 के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 238ध/18 दर्ज हुई। आरोपी को पुलिस ने 16 जून को गिरफ्तार कर दरभंगा जेल भेज दिया। आरोपी के अभिभावकों ने जिला एवम सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहां आवेदन दिया कि आरोपी 18 साल से कम आयु का है और कानूनन बालक है। अतः इनका वाद को किशोर न्याय परिषद दरभंगा भेज दिया जाए। 12 जुलाई 18 को विद्वान न्यायाधीश ने उम्र से जुड़े प्रमाण पत्रों को देखा और वाद को किशोर न्याय परिषद, दरभंगा में स्थान्तरित करने का आदेश दिया। पेश दस्तावेजों में उम्र 04—07—2004 उल्लखित था। 26 जुलाई 18 को परिषद में किशोर घोषित करने का आवेदन दिया गया। उम्र से जुड़े प्रमाण पत्र भी पेश किये गए। परिषद के विद्वान प्रधान दंडाधिकारी और सदस्य ने आरोपी को पेश होते ही शारीरिक बनावट के आधार पर किशोर घोषित कर दिया। 23 अगस्त को बालक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया।

केस अध्ययन - 11

जे जे बी 47/17

कांड संख्या - 125/17

मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में नवीन की गिरफ्तारी दिनांक 6 फरवरी 2017 को हुई। इनके रिकार्ड में लिखा है कि ये लोग मुफ्त सरकारी वकील के जगह निजी वकील रखना चाहते है और इनकी गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजनों को दी गयी है। नवीन को सासाराम मंडल जेल भेज दिया गया। 16 फरवरी 17 को इनकी माता की ओर से आवेदन दिया गया कि कैदखाने में बंद मेरा बेटा नाबालिग है, अतः वाद किशोर न्याय परिषद में विचारण हेतु भेज जाय। इनका रिकॉर्ड दर्ज कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने, इनका वाद किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया। बोर्ड जेल अधिकारी को आदेश दिया कि बालक को जेल से उपस्थापित करे। इसके

बाद 21 फरवरी को जेल से इनकी प्रस्तुति बोर्ड के समक्ष हुई। बोर्ड प्रथम नामांकन रेजिस्टर प्रस्तुत करने का आदेश हेडमास्टर को देता है। 23 फरवरी 17 को हेड मास्टर नामांकन पंजी के साथ हाजिर हुए। इनकी जन्मतिथि नामांकन रजिस्टर में 8 फरवरी 2001 लिखा हुआ है और घटना की तिथि 5 फरवरी 2017 है। लिहाजा इनकी उम्र 15 साल 11 माह 27 दिन मानते हुए बोर्ड ने नवीन को किशोर घोषित कर दिया। 25 फरवरी 17 को बोर्ड के समक्ष नवीन की जमानत का आवेदन दिया गया फलस्वरूप नवीन को बोर्ड द्वारा जमानत दे दी गई।

केस अध्ययन -12

जे जे बी - 143/18
जी आर - 3038/17
कांड संख्या -467/17

एक बालिका रुक्मिणी पर मुजफ्फरपुर जिले के ओपी जैतपुर में हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई। जिसमें उसे 15–12–17 को गिरफ्तार कर के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। इसकी उम्र प्राथमिकी में 18 साल से ऊपर दिखाई गयी है। रुक्मिणी के अभिवावक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को आवेदन दिते है कि गिरफ्तार अभियुक्त नाबालिग है और साथ मे कागजात भी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हाकिम मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज देते है। जहां 28–08–18 को उसे कागजातों के आधार पर 16 साल की मानते हुए किशोरी घोषित किया जाता है। उसे पटना हाई कोर्ट से 14–08–18 को जमानत मिल गयी। अगर इससे अपराध हुआ भी है तो भी इसकी उम्र की जांच सही तरीके से होती तो इसे सुधार गृह में रखा गया होता। लेकिन इसे लगातार 7–8 महीने सेंट्रल जेल में रखा गया। यह किशोर कानून का खुला उल्लंघन है

केस अध्ययन - 13

जे जे बी 241/18
जी आर 1081/18
प्राथमिकी संख्या - 33/18

यह गजब कहानी है जिसमें 15–16 साल की बालिका पर 20 वर्षीया ब्याहता को

बहला फुसला कर अपहरण करने का आरोप लगा था। तिथि 28.09.2018 को भा.द.वि. की धारा 363, 365, 379/34 के तहत बहुत ही समझदारी से मोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी में इसकी उम्र 18 साल दर्ज है। रोहतास की पहाडियो में तुरंत पुलिस सक्रिय हो गयी और मोनी अगले ही दिन गिरफ्तार कर सासाराम मंडल जेल भेज दी गयी। इनकी बहन की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सासाराम को आवेदन दिया गया कि गिरफ्तार लड़की नाबालिग है जिसने इसी साल मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। अतः रिकार्ड किशोर न्याय परिषद सासाराम को भेज दिया जाए। हाकिम सारे कागजातो की जाँच करते हुए रिकॉर्ड को परिषद को भेजने का आदेश देते है।

09–10–18 को रिकॉर्ड बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बोर्ड में उनकी बहन द्वारा मोनी को उपस्थापित होने हेतु आवेदन दिया जाता है। बोर्ड जेल अधिकारी को उक्त आदेश देते है। मोनी के हाजिर होने पर उससे पूछताछ की गयी। वह अपने को निर्दोष बताते हुए कहती है कि अपहृत औरत अपने मन से अपने साथी के पास आती-जाती रहती है। मुझे इस मामले में फंसा दिया गया है। 15.10.18 को मोनी के बहन की ओर से मोनी को किशोर घोषित करने हेतु आवेदन दिया गया। उसकी जन्म तिथि 12.09.2002 है और घटना तिथि 27.09.18 है। इसलिए इसकी उम्र 16 वर्ष 15 दिन हुई। बोर्ड ने इसे किशोर घोषित कर दिया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर 26.10.18 को मोनी का जमानत आवेदन दाखिल किया गया। मोनी को मैट्रिक का कंपार्टमेंटल एग्जाम भी देना था और पीड़िता औरत ने जो 29.09.18 को डेहरी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के सामने स्वीकारोक्ति बयान दिया है, उसमें

मोनी का नाम नहीं है और 26 दिनों से बेवजह निर्दोष और किशोर होते हुए भी जेल में बंद है।बोर्ड ने तुरंत मोनी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जेल से मुक्त करने का आदेश दिया।

लेकिन यह सवाल उठला लाजिमी है की जिस रोहतास पुलिस ने मोनी को अरेस्ट किया क्या उसने पूछताछ भी नहीं की। अगर की होती तो लड़की निश्चित तौर पर कहती कि मुझे मैट्रिक एग्जाम देना है। इससे उम्र का अंदाजा लग गया होता। लेकिन पुलिसिया चुस्ती की तारीफ करनी होगी कि 20 वर्षीय ब्याहता स्त्री के जो अपने साथी से मिलने गयी हो उसके बहलाने फुसलाने और अपहरण के आरोप में 16 वर्षीय लड़की को जेल भेज दिया गया।

क्या मोनी को राज्य मुआवजा देगी? क्या मोनी को पता है कि ऐसे मामलों में उसे राज्य से मुआवजा मांगने का हक है? अगर मोनी को पता भी है तो मुआवजा हेतु कहाँ-कहाँ जाना होगा? क्या उसके पास इसके लिए पैसे है। क्या मोनी वकील का खर्च वहन कर सकती है? मोनी का जवाब हमेशा नकारात्मक ही रहा।

केस अध्ययन - 14

जे जे बी - 240/18

जी आर - 548/18

कांड संख्या - 181/18

बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाने में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पिछड़े परिवार के एक लड़के पर धारा-379/411 के तहत 23.05.18 को मुकदमा दर्ज हुआ। इनको जज साहब के यहां 25 साल का लिख कर पेश किया गया और जज साहब ने तुरंत बिक्रमगंज उप जेल भेजने का हुक्म दिया। लड़का जेल चला गया। पैसे का बंदोबस्त करके इसके परिवार के लोगों ने 28.05.18 को जज साहब के यहां जमानत का आवेदन किया। अगले दिन अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा इसका जमानत खारिज कर दिया गया क्योंकि धारा अजमानतीय है। 4 महीने के बाद इनके गार्जियन ने 22.09.18 को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बिक्रमगंज के यहां पूरे कागजतो के साथ आवेदन दिया कि गिरफ्तार अभियुक्त नाबालिग है। अतः रिकार्ड को किशोर न्याय बोर्ड ट्रांसफर किया जाए। साहब ने तुरंत आदेश दिया और रिकार्ड 08.10.18 को बोर्ड में आया। बालक के

वकील ने अर्जी दी कि जेल से बालक को उपस्थापित किया जाए। 12.10.18 को बोर्ड ने जेल अधिकारी को बालक को हाजिर करने का आदेश दिया लेकिन बालक नही आया। फिर 03.11.18 को उनके वकील द्वारा आवेदन दिया गया कि बालक बिक्रमगंज जेल से सासाराम जेल आ गया है। इसलिए सासाराम जेल को उसको उपस्थापित करने का आदेश दिया जाए। 05.11.18 को बालक बोर्ड के सामने हाजिर हुआ। उसके वकील ने किशोर घोषित करने का आवेदन के साथ उम्र सम्बंधी प्रमाण पत्र पेश किया। बालक की जन्म तिथि 29.04.2002 है। घटना की तिथि 23.05.18 है। अतः घटना के दिन उसकी आयु 18 साल से कम है। अतः बोर्ड द्वारा इसे किशोर घोषित किया गया। बालक का जमानत आवेदन 05.11.18 को उनके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसे जमानत मिल गयी। लघु अपराध में, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी ही दर्ज नही करनी है, उसमें इस किशोर को पाँच महीनों से ऊपर जेल में गुजारने पड़े।

निष्कर्ष व सुझाव

किशोरों से सम्बंधित मामलों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बाद पुलिस की जल्दबाजी में जेल भेज देती है। अफसोस कि पुलिस किसी किशोर को जब वयस्क बना के रिमांड के लिए जज साहब के यहाँ प्रस्तुत करती है तो वे ज्यादातर मामलों में पुलिस का लिखा ज्यों का त्यों स्वीकार लेते है। किशोर कैदखाने में बंद हो जाते है। पुलिस, प्रशासन, सोसाइटी,और न्यायिक अधिकारी सब इस अवैधानिक कृत्य को जानते है, पर कभी कभी ही कार्रवाई हो पाती है। हाल में पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जनाब हसनैन नैयर खान ने ऐसे ही एक मामले में दारोगा को निलंबित किया था।

पुलिस जब 18 साल के करीब दिखने वाले बच्चे को गिरफ्तार करे तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के साथ उम्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी संलग्न करे। अगर वह देखने मे ही बालक लगे तो उसे हथकड़ी नही लगाए और यथाशीघ्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारो के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे उसे किशोर न्याय परिषद में हाजिर किया जा सके। जैसे ही कोई गिरफ्तार हो डीके बसु दिशानिर्देश के तहत उनके परिवारजनों को सूचना दी जाये। न्यायिक अधिकारी के यहां जब किसी आरोपी को पहली बार न्यायिक हिरासत के लिए प्रस्तुत करती है तो न्यायलय द्वारा उसके मदद के लिए विधिक सहायता तुरत किया जाये और न्यायकर्ता उम्र समन्धित पूछताछ या आरोपी के कमउम्र के दावे पर ध्यान दे। आरोपी के जेल जाने बाद जेल अधीक्षक भी वहाँ नियुक्त विधि कार्यकर्ता के साथ उम्र की जांच करके अपना मत भेजें। साथ ही किशोर न्याय परिषद के मेम्बरान जेलों में अपना निरीक्षण त्वरित गति से जारी रखे।

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 8 बोर्ड की शाक्तियां कार्य और उत्तरदायित्व की उपधारा 8.4 में उल्लेखित है कि जेलों का नियमित निरीक्षण किया जाय जिससे पता चल सके कि क्या कोई बालक ऐसी जेलों में रखा गया है जो वयस्को के लिए तात्पर्पित है तथा ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित करने के तात्कालिक उपाय करने की आवश्यकता है। बाल अपराधियों को बाल अपराध कानूनों में प्रदान सुरक्षा से वंचित रखा जाता है, जैसे जुनेवाइल जस्टिस बोर्ड का सामाजिक कानूनी रवैया, चार महीनो के भीतर

जांच पूरी करना, कुछ खास परिस्थितियो को छोड़कर अनिवार्य रूप से जमानत देना आदि। बाल अपराधी को प्रगतिशील कानून से प्रदान संरक्षण से वचित रखनेवाले दोषी कर्मचारियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन आरोपियों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। साथ ही इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।

इससे सकरात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वकीलों, डॉक्टरो, सामाजिक कार्यकर्तृताओ द्वारा पुलिस लॉक अप और जेलो की नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि जेलों में बंद किशोरों का पता लगाया जा सके। किशोर न्याय 8 ड में स्पष्ट दर्ज है व्यस्कों के लिए बने कारागारों का नियमित निरीक्षण कर पता लगाया जाये कि क्या कोई बालक उन कारागारों में रखा गया है और ऐसे बालकों को पर्यवेक्षण गृहों में तुरंत अन्तरित किया जाना चाहिए। हांलाकि पर्यवेक्षण गृहों की हालत जेलों से भी बदत्तर है।

निरीक्षकों की नियुक्ति न केवल कैदियों की समस्यओं को उठाने के लिए की जाए बल्कि राज्य सरकार के साथ उसका समाधान ढूंढने के लिए भी प्रयास की जानी चाहिय। कम उम्र के दावों का तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए जिससे की कीमती समय बच सके। यह जरूरी है कि इन आरोपियों को ऐसी स्थिति में न रखा जाए कि उन्हे एक प्राइवेट वकिल करना पड़ा। पहली बार थाने जाते समय और पहली पेशी होने पर इनकी सहायता के लिए योग्य मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर न्याय कानून के बारे में किशोरों में जागरूकता पैदा की जाए जिससे गलत तरीके से जेलों में रखे गये किशोर खुद ही मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश को सूचित कर सके कि अपराध करते समय अनकी उम्र 18 साल से कम थी। किशोर अपराधियों की पहचान करने उन्हें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हटाने और उन्हें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के दायरे में लाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ऐसी स्थिति केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। अभी हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जनवरी 2007 से जेल में बंद एक नाबालिग की रिहाई का आदेश 13 अक्टूबर 2018 को जारी किया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट से नाराजगी भी जाहिर की कि उसकी अनदेखी की वजह से एक मर्डर केस में नाबालिग को सालों से जेल में वयस्क कैदियों के साथ रखा गया। गीता मित्तल और पीएस तेजी की

पीठ ने सभी को बाल-अधिकारों की याद दिलाई और कहा कि किसी भी हालत में उनके अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता चाहे वे किसी अपराध में संलिप्त ही क्यों न हों। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही नाबालिग की रिहाई का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने कहा, नाबालिग को सालों कैद में रहना पड़ा जो कि जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत होने वाली अधिकतम सजा से बहुत ज्यादा अधिक है। हाई कोर्ट ने इस मामले को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए कहा कि जुवेनाइल से संबंधित कानूनों को लेकर ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने जूवेनाइल जस्टिस (केयर ऐंड प्रोटेक्शन) ऐक्ट के तहत दिए गए किशोरों के अधिकारों के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञता दिखाते हुए इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह फैसले की एक प्रति दिल्ली जुडिशल एकैडमी को भेजे जिससे कि जूवेनाइल जस्टिस पर नया कोर्स डिजाइन किया जा सके। इस कोर्स को हर जिला जज को भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, श्मामले से संबंधित पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष जिसने किशोर की उम्र की जांच की होगी, उसे इस बात की जानकारी रही होगी। लेकिन इसके बावजूद उसने ट्रायल कोर्ट को इसकी सूचना नहीं दी। किसी भी मामले में नाबालिग अपीलार्थी को वयस्क कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता है, नाबालिग को किशोर सुधार गृह में रखा जाना चाहिए और वह भी अधिकतम तीन सालों के लिए।

किशोरों का जेल में रहना किशोर न्याय व्यवस्था का आपराधिक उल्लंघन है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के मजिस्ट्रेट सबको सघन प्रशिक्षण देने की जरूरत है। जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है अनुसंधान अधिकारी उम्र के सही सत्यापन की कारवाई करे और खासकर जिस बच्चे को बोर्ड शारीरिक बनावट के आधार पर किशोर घोषित करते है उस बालक रिमांड के समय जज साहब को भी देखना चाहिए। कानून के अभिभावक की सतर्कता के अभाव में जिस बालक को पुनर्वास और मार्गनिर्देशन की जरूरत है उसे जेल भेजना कहाँ का न्याय है? किशोर कानून को विधि महाविद्यालय और ज्यूडिशियल ऑफीसर के ट्रेनिंग कोर्स में बताया जाना चाहिए। जेल के लीगल ऐड अधिवक्ता और जेल अधीक्षक को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है। राज्य बाल संरक्षण आयोग और मानवाधिकार

आयोग को राज्य स्तर पर इससे जुड़े लोगों के साथ विमर्श करनी चाहिए जिससे किशोर यातना से बच सके। इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करने की जरूरत है।